दैनिक नवज्योति, जयपुर
दिनांक 31-10-2015

मुख्यमंत्री ने रोक हटाने की घोषणा की

अब खेतों से उखाड़े जा सकेंगे विलायती बबूल

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर

राज्य सरकार ने प्रदेशभर में निजी खातेदारी की भूमि में जूली फ्लोरा (विलायती बबूल) पेड़ को जड़ सहित उखाड़े पर लगी रोक हटा दी है। अब किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं की भूमि से जड़ सहित जूली फ्लोरा निकालने पर किसी तरह की कानूनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुक्रवार को नागौर में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में विलायती बबूल पर लगी रोक को हटाने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि जूली फ्लोरा को जड़ से उखाड़ने पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग आपका जिला-आपकी सरकार कार्यक्रम के दौरान सवाई माधोपुर, बाड़मेर और नागौर में की गई थी। जूली फ्लोरा (विलायती बबूल) को जड़ सहित उखाड़कर गरीब व्यक्ति अपने उपयोग के लिए कोयला बनाते है, लेकिन पूरे प्रदेश में इस पर प्रतिबंध होने के कारण ऐसे लोगों को कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब उनके लिए राह आसान हो गई है।

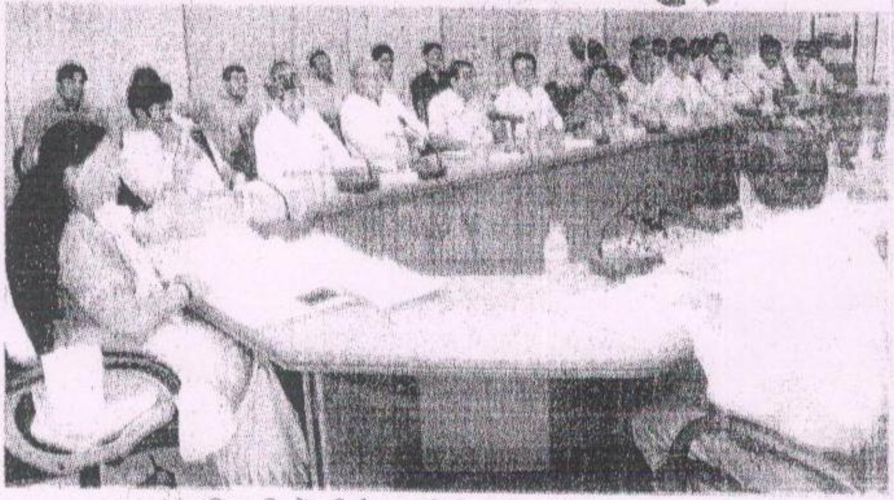

अधिकारियों की बैठक लेती मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे।

जल्द से जल्द गिरफ्तार हो आनंदपाल

राजे ने गैंगस्टर आनंदपाल सिंह को गिरफ्तार करने के संबंध में पुलिस की ओर से किए जा रहे प्रयासों की शुक्रवार को नागौर में उच्च स्तरीय समीक्षा की। राजे ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि आनंदपाल एवं उसके साथियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री को पुलिस अधिकारियों की ओर से अब तक इस दिशा में की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई। इस अवसर पर एडीजी एसओजी आलोक त्रिपाठी, एडीजी कानून-व्यवस्था एन. आर के रेड्डी, अजमेर रेंज की आईजी मालिनी अग्रवाल, नागौर पुलिस अधीक्षक गौरव श्रीवास्तव उपस्थित थे।